2T-1523/85

PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (i) G.S.R. 877
DATED 21.9.85

Government of India
(Bharat Sarkar)
Ministry of Steel, Mines and Coal
(Ispat, Khan Aur Koyla Mantralaya)
Department of Mines
(Khan Vibhag)

New Delhi, the 3rd September, 1985

N O T I F I C A T I O N

G.S.R. 877 In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely:-

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession(Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960, in rule 37, -

(1) sub-rule (1A) shall be re-numbered as sub-rule (1B).

.....2/-

(2) before sub-rule (1B) as so re-numbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1A) The State Government shall not give consent to the transfer of the lease in any manner under sub-rule (1) unless the lessee ensures that the person to whom the lease is transferred agrees to -

(a) prepare a mining plan and programme of extraction duly approved by an authority appointed by the Central Government and also agrees to undertake the mining operation in accordance with the approved mining plan;

(b) pay a market wage determined by the ∠ transfe or ∠ from time to time, provided that the wage shall not be less than the prevailing minimum wage prescribed by authority;

(c) provide welfare amenities to workers working in the mines;

(d) use pollution control devices, as approved by the Central Government or the State Government, as the case may be;

.....3/-

(e) take measures for protection of environment, planting of trees and the like, as determined by the State Government; and

(f) carry out mining in accordance with the provisions of Law inforce."

(c) after the third proviso to sub-rule (2) the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that where the lessee is a Government Company as defined in the Indian Companies Act, 1956 or a Corporation wholly owned or controlled by Central or State Government, it may collect or arrange to collect with the prior approval of Central Government or State Government, as the case may be, an agreed sum per agreed unit of the ore or mineral extracted or to be extracted, and such lump-sum amount, if any, as consideration from the transferee."

(4) In sub-rule (3), after the words "provision of sub-rule (1)" the words "or sub-rule (1A) or sub-rule (1B)" shall be inserted.

(G.S. Gill)
Deputy Secretary to the Govt. of India
File No. 7(2)/85-M.VI

.....4/-

Foot Note:

Rule 37 was amended earlier vide Ministry of Steel and Mines following Notifications:-

(i) No.M.II-169(44)/61 dated 6.5.1963
(ii) No.M.II-152(58)/61 dated 30.4.1963.
(iii) No.1(2)/68-M.II dated 23.2.68
(iv) No.1(33)/67-M.II dated 30.3.68.
(v) No.7(2)/78-M.VI/MM dated 22.5.79

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area,
Near Rajouri Garden,
New Delhi.

भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित
सा०का०नि० 677 दिनांक [illegible]-9-1985

भारत सरकार
इस्पात और खान मंत्रालय
खान विभाग

नई दिल्ली, तारीख 3 सितम्बर, 1985

अधिसूचना

सा०का०नि० --केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज रियायत नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 1985 है
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खनिज रियायत नियम, 1960 में, नियम 37 में, -
(1) उपनियम (1क) को उपनियम (1ख) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा ।
(2) इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपनियम (1ख) के पहले निम्नलिखित उपनियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्

(1क) राज्य सरकार उपनियम (1) के अधीन किसी भी रीति से पट्टा के अंतरण को सम्मति तब तक नहीं देगी जबकि पट्टेदार यह सुनिश्चित नहीं करता कि जिस व्यक्ति को पट्टा अन्तरित किया गया है वह-
(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित खनन रेखांक और निष्कर्षण-कार्यक्रम तैयार करने के लिए सहमत है और अनुमोदित खनन रेखांक के अनुसार खनन संक्रिया करने के लिए भी सहमत है ;

(ख) अंतरक द्वारा समय-समय पर अवधारित बाजार मजदूरी का संदाय करने के लिए सहमत है, परन्तु यह कि मजदूरी, प्राधिकारी द्वारा विहित विधमा न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगी ;

(ग) खानों में कार्य कर रहे कर्मकारों को कल्याणकारी सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सहमत है ;

(घ) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रदूषण नियंत्रण युक्तियों का उपयोग करने के लिए सहमत है ;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित पर्यावरण के संरक्षण, वृक्ष-रोपण और उसी प्रकार के कार्य के लिए उपाय करने के लिए सहमत है ; और

(च) प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुसार खनन करने के लिए सहमत है ।

3. उपनियम (2) के तीसरे परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अंत: स्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

"परन्तु यह भी कि जहां पट्टेदार, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 में यथापरिभाषित कोई सरकारी कंपनी या केन्द्रीय या राज्य सरकार के पूर्णत: स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कोई निगम है वहां वह, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निकाले गए या निकाले जाने वाले अयस्क या खनिज की तय पाई गई राशि प्रति तय पाई गई यूनिट, और अंतरिती से प्रतिफल के रूप में ऐसी एक-मुश्त रकम, यदि कोई हो संग्रह कर सकेगा या संग्रह करने की व्यवस्था कर सकेगा" ।

4. उपनियम (3) में, "उपनियम(1) के किसी उपबंध" शब्दों के स्थान पर "उपनियम(1) या उपनियम(1क) या उपनियम (1ख) के किसी उपबंध" शब्द रखे जाएंगे ।

ह0/-
(ग0स0 गिल्ल)
उप सचिव, भारत सरकार
फा0सं0 7/2/85-खान-6

पादटिप्पण

नियम 37 का पहले इस्पात और खान मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया था :

(1) सं0 एम, 11-169/44/61 तारीख 6-5-1963
(2) सं0 एम. 11-152/58/61 तारीख 30-4-1963
(3) सं0 1/2/68-एम-11 तारीख 23-2-1968
(4) सं0 1/33/67-एम 1 तारीख 30-3-1968
(5) सं0 7/2/78-एम56/एमएम तारीख 22-5-1979

सेवा में

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी इन्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली ।